

अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा

मकान बनाने के लिए अनुदान प्राप्ति का आवेदन-पत्र

सेवा में

तहसील/जिला कल्याण अधिकारी,

तहसील _____

जिला _____

निवेदन है कि मेरे पास रहने के लिए कोई मकान नहीं है। कच्चा मकान खस्ता हालत में है अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे मकान निर्माण/मुरम्मत के लिए _____ रु० का अनुदान दिया जाए।

1. आवेदक का नाम _____

2. पिता/पति का नाम _____

3. जाति _____

4. व्यवसाय _____

5. सभी साधनों से प्राप्त परिवार की वार्षिक आय _____

6. स्थाई पता : मकान नं० _____ मोहल्ला _____

गांव _____ डाकखाना _____

तहसील _____ जिला _____

7. आयु _____

8. आवेदक इस समय कहाँ रहता है ?

9. क्या किराए के मकान में रहता है ? यदि हाँ तो कब से ?

10. क्या आवेदक के पास मकान बनाने के लिए भूमि है ? अगर है तो कितनी और कहाँ है (प्रमाण साथ लगाएं)

11. क्या आवेदक अपने पास से शेष पूंजी लगा सकता है ?

12. क्या आवेदक ने पहले कोई अनुदान/कर्जा विभाग से ले रखा है ? अगर ले रखा है तो किस वर्ष में और किस योजना के अधीन ?

13. क्या आवेदक के पास कृषि भूमि है, तो कितनी और कहाँ ?

आवेदक के हस्ताक्षर

तहसील कल्याण अधिकारी की जांच रिपोर्ट

स्कीम अनुसार तथ्यों की जांच की गई है तथा तथ्यों को ठीक पाया गया है/ठीक नहीं पाया गया है अतः अनुदान देने की सिफारिश की जाती है/नहीं की जाती है। (कारणों सहित)

रिपोर्टकर्ता के हस्ताक्षर

पूरा नाम _____

पता _____

सत्यापन की तिथि _____

44362—S.C.&B.C.—Item No. 1—H.G.P., Chd.